

# छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक

/विस/स्था./2016

रायपुर, दिनांक :

## कार्यालय आदेश

आवक-जावक शाखा में यह देखा जा रहा है कि पत्रों का वितरण तत्परतापूर्वक नहीं किया जाता है और संबंधित लिपिक जिम्मेदारीपूर्वक कार्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। फलस्वरूप प्राप्त होने वाली डाक भी उसी दिन शाखाओं को वितरित नहीं की जाती है और जावक की जाने वाली डाक के वितरण में भी विलम्ब होता है।

अतः समस्त अनुभाग अधिकारियों को यह सूचित किया जाता है कि जावक शाखा को भेजे जाने वाली डाक अपरान्ह 3.00 बजे तक जावक शाखा को उपलब्ध करायी जाए ताकि वह उसी दिन वितरित की जा सके। 3.00 बजे के पश्चात् जावक शाखा को भेजे जाने वाली डाक यदि फेक्स या ई-मेल द्वारा नहीं भेजी गयी है और अत्यावश्यक स्वरूप की है तो अस्थायी नोट पर यह अंकित कर भेजे कि डाक का वितरण उसी दिन किया जाना आवश्यक है।

आवक-जावक शाखा में जो डाक सायं 5.00 बजे तक प्राप्त होती है, वह भी उसी दिन संबंधित शाखाओं को वितरित हो जाना चाहिए, यह भी सुनिश्चित किया जाए। प्रभारी अधिकारी समुचित पर्यवेक्षण करें।

आदेश से,

अपर सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा

५५५

पृ.क्रमांक

/विस/स्था./2016

रायपुर, दिनांक : ३३.१२.१६

प्रतिलिपि :-

1. मान. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के सचिव को मान. अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के निज सहायक को प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. समस्त शाखा प्रभारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा